



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>

ई.मेल-hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2705471

क्रमांक एफ1(13)पीएस/आकाशि/22/

दिनांक:-

परिपत्र

विषय:- राजकीय महाविद्यालयों में एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड एवं अन्य कार्मिकों को नियमानुसार नियुक्त करने के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा एजेंसियों को नियुक्त करने एवं उन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है जिसके कारण महाविद्यालय में चोरी की घटनाएँ होने पर भी किसी का प्रत्यक्ष दायित्व ठहराया जाना संभव नहीं हो पाता है तथा न ही उन एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करवाकर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है।

अतः सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि RTPP Act, GF&AR सहित अन्य नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करते हुये सुरक्षा गार्डों सहित विभिन्न कार्यों के लिए महाविद्यालय में एजेंसियों/कार्मिकों से सेवा प्राप्त करें। भविष्य में यदि सुरक्षा एजेंसियों/कार्मिकों की नियुक्ति नियमानुसार नहीं पाई जाती है तो उसके लिए प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।



आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(13)पीएस/आकाशि/2022/806

दिनांक:- 17.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय (राजस्थान)/राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर/राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।
6. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. के. एल. सिराधना)

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर।